न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

अपील संख्या : जोधपुर/अपील/डिकी/आरटीए/223/2018/172

कायमदीन पुत्र हकीम खान मुसलमान
निवासी भडला, तहसील बाप
जिला जोधपुर

--- **अपीलाण्ट**

ब

न

म

1. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार, बाप
   जिला जोधपुर
2. मैसर्स सूर्या उर्जा कम्पनी आफ राजस्थान लि.
   जरिये प्रबन्धक तृतीय फेज
   ग्राम भडला, पोस्ट भुर्जगढ
   तहसील बाप, जिला जोधपुर

--- **रेस्पोडेण्ट्स**

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिकी सहायक कलेक्टर बाप दिनांक 12 जून 2018 राजस्व वाद संख्या 190/2016 कायमदीन बनाम सरकार व अन्य

--- 0 ---

उपस्थित -

1. अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई
2. रेस्पो. संख्या एक की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी
3. रेस्पो. संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री जे. गहलोत

नि र्ण य

दिनांक : 14 अक्तूबर, 2019

सहायक कलेक्टर बाप द्वारा राजस्व वाद संख्या 190/2016 कायमदीन बनाम सरकार व अन्य में पारित निर्णय व डिकी दिनांक 12 जून 2018 के खिलाफ अपीलाण्ट द्वारा राजस्थान काश्तकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत यह अपील अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 28 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत की गयी है। अपील के साथ एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर डिकी पर्चा प्रस्तुत करने की अनिवार्यता में शिथिलता प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया। एक अन्य प्रार्थनापत्र अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया गया।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि वादी-अपीलाण्ट ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188, 92ए तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 14(4) के तहत एक दावा ग्राम भडला पटवार क्षेत्र नूरे की भूर्ज तहसील बाप स्थित आराजी खसरा संख्या 66 रकबा 259 बीघा में से 100 बीघा भूमि वाद के संलग्न नक्शा अनुसार स्वयं की पीढियाती कब्जे काश्त की वक्त सेटलमेण्ट चले आना जाहिर करते हुए खातेदारी अधिकारों की घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा आदि का प्रस्तुत किया, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12 जून 2018 को खारिज कर दिया गया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में जाहिर किया कि ग्राम भडला पटवार क्षेत्र नूरे की भूर्ज तहसील बाप स्थित आराजी खसरा संख्या 66 कुल रकबा 259 बीघा में से 100 बीघा भूमि वाद के संलग्न नक्शा अनुसार तथा खसरा संख्या 63 रकबा 122 बीघा भूमि पर वक्त सेटलमेण्ट के पूर्व से अपीलाण्ट व उसके भाइयों का पीढियाती कब्जा काश्त चला आ रहा है, वक्त सेटलमेण्ट खसरा संख्या 63 की

राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर

122 बीघा भूमि तो उनके नाम खातेदारी में दर्ज कर दी गयी, मगर खसरा संख्या 66 की 100 बीघा भूमि उनके नाम दर्ज नहीं की जाकर सेटलमेण्ट विभाग द्वारा सरकारी खाते में दर्ज कर दी गयी, जबकि मौके पर भौतिक कब्जा आज भी अपीलाण्ट एवं उसके भाईयों का ही चला आ रहा है। मौके पर कब्जा वादी-अपीलाण्ट व उसके भाईयों का होने तथा राजस्व रिकार्ड में भूमि सरकारी खाते में दर्ज होने के कारण प्रतिवर्ष खसरा परिवर्तनशील में अपीलाण्ट का नाम दर्ज होता रहा है और अपीलाण्ट के खिलाफ धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत बेदखली की कार्यवाही भी होती रही है, जिसके नोटिस भी अपीलाण्ट के नाम जारी होते रहे है, मगर आदिनांक अपीलाण्ट या उसके भाईयों को कभी भी वादग्रस्त आराजी के भौतिक रूप से बेदखल नहीं किया गया है। इन परिस्थितियों में अपीलाण्ट को वादग्रस्त आराजी बाबत अर्जित खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश किया, जो अपीलाधीन निर्णय के जरिये खारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गम्भीर तथ्यात्मक एवं विधिक भूल की गयी है। अपनी बहस जारी रखते हुए विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 24 अप्रेल 2018 तक मिसल तलबी हेतु विचाराधीन चल रही थी, दिनांक 24 अप्रेल 2018 की आदेशिका मुताबिक अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी दौरे/अवकाश पर होने की रबर-मुहर चस्पा करते हुए आगे पेशी 07 जून 2018 निर्धारित की गयी, इसके बाद दिनांक 07 जून 2018 की आदेशिका के अनुसार अगली पेशी 12 जून 2018 पत्रावली कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र (स्थान का नाम अंकित किये बिना) पर रखे जाने

हेतु निर्धारित किया गया। दिनांक 12 जून 2018 की आदेशिका में वर्णित किया गया है कि "...तहसीलदार बाप से जबाब प्राप्त हुआ, जिसने अपने जबाब में बताया कि अपीलाण्ट वादग्रस्त भूमि पर अतिकमी है ... ।" जबकि पत्रावली के अवलोकन से वास्तविकता यह है कि **अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष न तो तहसीलदार स्वयं उपस्थित हुआ और न ही कोई जबाब तहसीलदार या प्रतिवादीगण की ओर से पेश हुआ।** यहॉ तक कि प्रतिवादीगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में कोई वकालतनामा भी प्रस्तुत नहीं हुआ है। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12 जून 2018 की आदेशिका में उक्त वाक्यांश लिखते हुए और यह लिखते हुए कि

> "...वादी को उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना राजहित में नहीं है ..... वादी द्वारा राज्य सरकार के विरुद्ध घोषणात्मक वाद पेश किया गया है। एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार घोषित किये जाने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है।..."

वादी-अपीलाण्ट का दावा खारिज कर दिया गया, जो निर्धारित विधिक प्रकिया एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं है। अतः प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

मियाद के संबंध में अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि वाद प्रकरण लोक-अदालत कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र में रखे जाने की विधिवत सूचना अपीलाण्ट-वादी अथवा उसके अधिवक्ता को नहीं दी गयी और अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट-वादी एवं उसके अधिवक्ता की अनुपस्थित में तहसीलदार के तथाकथित जबाब के आधार पर पारित किया गया, जिसकी समुचित समय में अपीलाण्ट-वादी को सूचना नहीं हो पायी। रेस्पो. जब अपीलाण्ट के खेत में आकर वाद खारिज होने की सूचना देते हुए दखल देने लगे, तो अपीलाण्ट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपीलाधीन निर्णय की नकल हेतु आवेदन किया, जो दिनांक 06 सितम्बर 2018 को प्राप्त होने पर विधिवत प्रथम बार अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई और जानकारी की दिनांक से आलौच्य अपील निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत कर दी गयी है, जो मियादशुमार की जाकर गुणागवुण पर स्वीकार की जावे।

डिकी पर्चा विमुक्ति प्रार्थनापत्र के संबंध में अधिवकता-अपीलाण्ट ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय के अनुसरण में डिकी पर्चा तैयार ही नहीं किया गया, अतः अपील के साथ डिकी पर्चा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत किया जाना सम्भव नहीं हो पाया।

जबाब में रेस्पो. पक्ष की ओर से अधिवक्तागण ने जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलाण्ट-वादी मात्र अतिकमी की हैसियत से यदा-कदा काबिज रहा है, जिसे समय-समय पर विधिवत कार्यवाही कर बेदखल किया जाता रहा है। इस तथ्य को अपीलाण्ट स्वयं ने स्वीकार किया है। राज्य सरकार की स्वीकृति के अनुकम में जिला कलेक्टर, जोधपुर द्वारा राजकीय सिवाय चक भूमि होने से नियमानुसार वादग्रस्त आराजी रेस्पो. संख्या दो को आवण्टित भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आदेशिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27 मार्च 2018 की आदेशिका में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिये गये निर्देशों की वादी-अपीलाण्ट द्वारा पालना नहीं की गयी है, आदेश 9 नियम 2 सीपीसी के अनुसार न्यायालय के निर्देशों की पालना नहीं किये जाने की स्थिति में दावा खारिज किये जाने योग्य ठहरता है। रेस्पो. के अधिवक्तागण ने यह भी जाहिर किया कि कैम्प कोर्ट में प्रकरण दो बार रखा गया था। दूसरी बार भी कैम्प कोर्ट में प्रकरण रखे जाने की सूचना 7 दिन पूर्व अधीनस्थ न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित कर दी गयी थी। मियाद के संबंध में रेस्पो. के अधिवक्तागण ने तर्क प्रस्तुत किया कि मियाद प्रार्थनापत्र अपूर्ण एवं अस्पष्ट है, अपीलाधीन आदेश की जानकारी कब, किसके द्वारा और किस प्रकार हुई, इन बिन्दुओं के बारे में कोई स्पष्ट, तार्किक एवं विश्वसनीय जानकारी नहीं दी गयी है, ऐसी स्थिति में मियाद प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार मियाद प्रार्थनापत्र एवं अपील, दोनों को खारिज किया जावे।

प्रत्युत्तर में विद्वान अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी-अपीलाण्ट का वाद "न्यायालय के निर्देशों की पालना नहीं करने" के कारण खारिज नहीं किया है, अतः रेस्पो. के अधिवक्तागण द्वारा इस संबंधित लिये गये आक्षेप महत्वहीन है।

उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आद्योपान्त अध्ययन करने के उपरान्त यह पाया जाता है कि -

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

1. प्रतिवादीगण की तलबी हेतु वादी-अपीलाण्ट की ओर से सम्मन प्रस्तुत करने संबंधित फर्द-तलबाना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है, मगर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आदेशिकाओं के हाशिए पर किसी दिनांक को सम्मन जारी किये जाने संबंधित डिस्पेच नम्बर आदि अंकित नहीं किये हुए, जैसा कि सामान्य तौर पर किये जाने की परम्परा है। जिससे इस धारणा को बल मिलता है कि वस्तुतः प्रतिवादीगण के सम्मन जारी ही नहीं किये गये।
2. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने की दिनांक 12 जून 2018 की आदेशिका में तहसीलदार की ओर से जबाब प्रस्तुत हो जाना वर्णित किया गया है, मगर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई तथाकथित जबाब उपलब्ध नहीं है।
3. अपीलाधीन निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि "...वादी को उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना राजहित में नहीं है ..... वादी द्वारा राज्य सरकार के विरुद्ध नियमित घोषणात्मक वाद पेश किया गया है।..." ऐसा माना जाना न्यायिक-मानस के अनुरूप नहीं है, न्यायालय को न्याय के मूल बिन्दु तक पहुँचना होता है, न कि किसी व्यक्ति-विशेष या संस्था-विशेष के हितों का संरक्षण करना।
4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में यह मानते हुए कि "....एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार घोषित किये जाने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है।..."

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विधिक त्रुटि की है। प्रकरण यदि अधिकारिता के बिन्दु पर ही खारिज किया जाना था तो भी निर्धारित विधिक प्रकिया के अनुसार पहले दोनों पक्षों के दावे एवं जबाबदावे के आधार पर विधि संबंधी विवाघक कायम किये जाने चाहिये थे, जिनमें अन्य विधिक विवाघकों के साथ-साथ एक विवाघक अधिकारिता के संबंध में भी कायम कर लिया जाता और फिर इस बाबत पक्षकारान की सुनवाई कर सर्वप्रथम विधिक विवाघकों पर निष्कर्ष देते हुए इनका निस्तारण सर्वप्रथम कर दिया जाता। मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया, जिससे अपीलाधीन निर्णय समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

5. प्रकरण लोक अदालत कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र में रखे जाने संबंधित विधिवत सूचना दिये जाने संबंधित कोई ठोस प्रमाण एवं अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने के दिन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी-अपीलाण्ट या उसके अधिवक्ता उपस्थित होना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से साफ जाहिर नहीं होता है, ऐसी स्थिति में न्यायहित में मियाद प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए अपील मियादशुमार की जाती है।

6. वादी-अपीलाण्ट का दावा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा "न्यायालय के निर्देशों की पालना नहीं करने" के कारण खारिज नहीं किया है, अतः रेस्पो. के अधिवक्तागण द्वारा इस संबंधित लिये गये आक्षेप महत्वहीन है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12 जून 2018 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रतिवादीगण-रेस्पो. को जबाब का अवसर प्रदान किया जाकर, प्राप्त जबाबदावा एवं वादी-अपीलाण्ट के दावे के आधार पर मामले में तनकियात कायम की जावे, तत्पश्चात दोनों पक्षों की साक्ष्य ली जाकर बाद सुनवाई समुचित विवेचन एवं विश्लेषण सहित तनकीवार मामले में विधिसम्मतः न्यायोचित निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 14 अक्तूबर 2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/X/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
जोधपुर